कार्यालयः जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बरेली।

पत्रॉक व0स0–3 / मान्यता / 17833 / 2021–22 दिनांकः 28/03/2022

प्रबन्धक,
दि गुरू, (अंग्रेजी माध्यम),
मिनी बाईपास, कर्मचारी नगर रोड,
महानगर, बरेली।

विषयः– स्थाई मान्यता प्रमाण–पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने आवेदन–पत्र दिनांक 23.03.2022 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इस कार्यालय के पत्रॉकः प्र0स0–2 / 74482–89 / 2015–16 दिनांक 03.03.2016 के द्वारा कक्षा एन0 सी0 से कक्षा आठ तक अंग्रेजी माध्यम की दिनांक 01.04.2016 से दिनांक 31.03.2019 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रदत्त अनन्तिम मान्यता को स्थायी करने का अनुरोध किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध मे आपको अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या–419 / 79–6–2013–18(20) / 91 शिक्षा अनुभाग–6 लखनऊ, दिनांक 08.05.2013 के प्रस्तर में निम्नलिखित व्यवस्था की गयी है। "प्रथमतया निर्धारित प्रारूप पर नियमावली मे उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपबन्धिक मान्यता तीन वर्ष के लिए दी जायेगी। इस अवधि मे मान्यता की शर्तो के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि आपके विद्यालय को स्थाई मान्यता प्राप्त हो गयी है।"

आप द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार विद्यालय अद्यतन संचालित होने एवं विद्यालय के विरूद्ध कोई शिकायत नहीं होने एवं विद्यालय प्रबन्ध समिति में वाद–विवाद नहीं होने की स्थिति परिलक्षित हुई है। अतः शासनादेश दिनॉक 08.05.2013 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार आपके विद्यालय की मान्यता जारी रहेगी। यदि आगामी वर्षो में कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित होता है तो आपके विद्यालय के विरूद्ध अग्रिम कार्यवाही की जायेगी, साथ ही आपको मान्यता सम्बन्धी नवीन शासनादेश दिनॉक 11.01.2019 एवं समय–समय पर निर्गत होने वाले नवीन निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बरेली।

कार्यालयः सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), तृतीय मण्डल।

पत्रॉक–बेसिक/ 7718-20 /2021–22 दिनॉक– 11-2-2022

प्रबन्धक / प्रधानाचार्य
द गुरू स्कूल,
मिनी बाईपास कर्मचारी नगर
बरेली।

विदित है कि शासनादेश संख्या–419 / 79–6–2013–18(20) / 91 दिनॉक–08.05.2013 में निहित व्यवस्थानुसार मण्डलीय समिति के निर्णय उपरान्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आपके विद्यालय को तीन वर्ष की औपबन्धिक मान्यता प्रदान की गई है। सूच्य है कि शासनादेश संख्या–89 / अरसठ–3–2018–2041 / 2018 दिनॉक–11 जनवरी 2019 में अशासकीय विद्यालयों को मान्यता प्रदान किये जाने सम्बन्धी पूर्व के सभी शासनादेशों को अतिक्रमित करते हुए अशासकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों (नवीन) की मान्यता हेतु शर्तें निर्धारित की गयी है । जिसके अनुसार स्थायी मान्तया हेतु एक वर्ष के पश्चात् मान्यता से संबंधित नियमों / शर्तों को पुनः परीक्षण करने के उपरान्त शिक्षा के अधिकार के अनुसार विद्यालय चलते रहने पर एक वर्ष के पश्चात् विद्यालय को स्थायी मान्यता प्रदान करना प्राविधानित है। किन्तु अद्यावधिक आपके द्वारा विद्यालय की स्थाई मान्यता / नवीनीकरण हेतु आवेदन नहीं किया गया है। जिससे स्वतः स्पष्ट हो रहा है कि विद्यालय के स्थाई मान्यता / नवीनीकरण के बिना ही विद्यालय का अनियमित संचालन किया जा रहा है। शासनादेश संख्या–89 / अरसठ–3–2018–2041 / 2018 दिनॉक–11 जनवरी 2019 एवं निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम में निहित शर्तो का घोर उल्लघन है।

तत्क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि विद्यालय के नवीनीकरण हेतु पत्रावली में समस्त शर्तों की पूर्ति कराते हुए एक सप्ताह के अन्दर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही नवीन व्यवस्था के अनुसार स्थाई मान्यता / नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रेरणा पोर्टल के माध्यम से अतरित करायें। निर्दिष्ट अवधि में पत्रावली प्राप्त न होने की दशा मे विद्यालय का संचालन अवैध माना जायेगा, जिसके फलस्वरूप विद्यालय में प्रवेश पर रोक लगाते हुए मान्यता प्रत्याहरण की कार्यवाही की कार्यवाही जायेगी।

(गिरवर सिंह) 11/02/2022
सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक),
तृतीय मण्डल,बरेली

पृ0सं0–बेसिक/ /2021–22 दिनॉकित।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01 जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बरेली को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को विद्यालय की स्थाई मान्यता / नवीनीकरण के सम्बन्ध में अपने स्तर से भी निर्देशित करना सुनिश्चित करें। निर्दिष्ट अवधि में आवेदन न करने की दशा में प्रवेश पर रोक लगाते हुय विद्यालय अवैधानिक रूप से संचालित करने के लिए मान्यता प्रत्याहरण की कार्यवाही सुनिश्चित करायें।

02 सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त विद्यालय के प्रबन्धक अपने स्तर से भी पत्र की प्रति तामील कराते हुए प्राप्ति रसीद इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक),
तृतीय मण्डल,बरेली

कार्यालयः जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बरेली।

पत्रांकः प्र0स0–2/74482-89 /2015–16 दिनॉकः 03/03/2016

प्रबन्धक,
दि गुरू, (अंग्रेजी माध्यम)
मिनी बाईपास, कर्मचारी नगर रोड,
महानगर, बरेली।

विषयः निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 15 के उपनियम(4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण–पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके दिनॉक 01/08/2015 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से मैं **दि गुरू, मिनी बाईपास, कर्मचारी नगर रोड, बरेली** को दिनॉक 01.04.2016 से दिनॉक 31.03.2019 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए **कक्षा–एन0सी0 से कक्षा–आठ तक (अंग्रेजी माध्यम)** के लिए अनन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तो को पूरा किए जाने के अध्याधीन हैः–

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं हैं और उसमें किसी भी रूप में कक्षा आठ के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपबन्ध–1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपबन्ध–2) के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा एक में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में), उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस–पडोस के कमजोर वर्गो और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
4. पैरा–3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियॉ प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक प्रथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसायटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्कीनिंग प्रकिया के अध्याधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित प्राविधान सुनिश्चित करेगा :–

(i) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।

03/03/16

Scanned by TapScanner

(ii) किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीडन के अध्याधीन नहीं किया जाएगा।

(iii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

(iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकाथित किए गए अनुसार एक प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाएगा।

(v) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।

(vi) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, पॉच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।

(vii) अध्यापन अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है।

(viii) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन कियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

8. विद्यालय अधिनियम की धारा–19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखना। अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैंः–

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल --

कुल निर्मित क्षेत्र --

कीडा स्थल का क्षेत्रफल --

कक्षाओं की संख्या --

प्राध्यापक–सह–कार्यालय–सह भंडारगृह के लिए कक्ष --

बालक और बालिकाओं के लिए प्रथक–प्रथक शौचालय -

पेयजल सुविधा --

मिड–डे मील पकाने के लिए रसोई --

बाधारहित पहुॅच --

अध्यापन पठन सामग्री/कीडा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता --

9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी।

10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या कीडा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।

11. विद्यालय को सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसायटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

03/03/16

Scanned by TapScanner

12. स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।

13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा सम्परीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी चाहिए।

14. आपके विद्यालय को आबंटित मान्यता कोड संख्यांक 02/2015–16 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।

15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय–समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।

16. सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।

उपरोक्त के अतिरिक्त विद्यालय प्रबन्धक द्वारा जो पत्राजात/प्रमाण–पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किए गए हैं अथवा प्रबन्धक द्वारा जो तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं उनमें भविष्य में कोई त्रुटि अथवा असत्यता पाए जाने पर विद्यालय की मान्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी।

03/03/16

(देवेन्द्र स्वरूप)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
बरेली।

पृ0सं0: प्र0स0–2/ /2015–16 तददिनॉक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

1– शिक्षा निदेशक(बेसिक), उ0प्र0 लखनऊ।
2– सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3– सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक), बरेली मण्डल–बरेली।
4– जिला समाज कल्याण अधिकारी, बरेली।
5– जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, बरेली।
6– जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी, बरेली।
7– खण्ड शिक्षा अधिकारी महानगर, बरेली।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
बरेली।

Scanned by TapScanner

THE GURU

An English Medium School

Nurturing Excellence

Ref.............................. Date ....

सेवा में,
संयुक्त शिक्षा निदेशक,
बरेली मण्डल, बरेली।

विषयः– <u>सी0 बी0 एस0 ई0 द्वारा सैकेण्ड्री स्तर की मान्यता के लिए प्रस्तुत पत्राजात</u>

महोदय,

सविनय निवेदन है कि दी गुरु (एन इग्लिंश मीडियम स्कूल) कश्मीरी कोठी, देहली नैनीताल मिनी वाई पास रोड, कर्मचारी नगर रोड, बरेली ने कक्षा दस (सैकेण्ड्री) शिक्षा प्रदान करने हेतु सभी वांछित पत्राजात केन्द्रीय बोर्ड नई दिल्ली को प्रस्तुत कर दिये है। सभी कक्षाएँ सी0 बी0 एस0 ई0 के मानक अनुसार बनाये गये है तथा बिजली, पानी, खेलकूद, जनरेटर इत्यादि की सभी सुविधाएँ छात्र–छात्राओं को मिल रही है।

इस सम्बन्ध में पत्र के साथ के केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी0बी0एस0 ई0) के पत्रांक CBSE/Aff. SL-01111-1617 दिनाँक 2 जुलाई 2016 मान्यता हेतु प्रदत्त पंजीकरण प्रतिलिपि भेज रहे हैं। इस तथ्य से हम आपको अवगत करा रहे है। धन्यवाद।

संलग्नः– 1. ~~सहायक शिक्षा निदेशक~~ जिला बेसिक शिक्षाधिकारी, बरेली द्वारा जारी मान्यता प्रतिलिपि।
2. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्रदत्त पंजीकरण प्रतिलिपि।

प्रार्थी

(गुरु नरायन मेहरोत्रा)
दी गुरु (एन इग्लिश मिडियम स्कूल)
कश्मीरी कोठी, देहली नैनीताल
मिनी वाई पास, कर्मचारी नगर रोड, बरेली

KASHMIRI KOTHI, NAINITAL-DELHI MINI BYE-PASS ROAD, NEAR PETROL PUMP, BAREILLY.
Ph. No.: 9927074042, E-mail: the.guru.bly@gmail.com